न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. हीरा पिता दल्ला बलाई
2. उदा पिता दल्ला बलाई
3. श्रवण पिता रूपा बलाई
4. चन्द्री पुत्री रूपा बलाई
5. सरजु पुत्री रूपा बलाई
6. दुर्गा पुत्री रूपा बलाई
7. सोहनी बेवा रूपा बलाई

सर्व निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर पिता रूपा नाई
2. गोरधन पिता रूपा नाई
3. किशनलाल पिता चतरूलाल ब्राहम्ण
4. गोपाल पिता काशीरात ब्राहम्ण
5. बरदीशंकर पिता काशीराम शर्मा

सर्व निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:– 6 / 5 /2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 252/1 रकबा 0.387 हे0 253/1 रकबा 0.1540 हे0 778/2 रकबा 0.0600 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2527 हे0 व आराजी संख्या 286 रकबा 0.70 हे0, 902 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 387 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी की प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 252/1 रकबा 0.387 हे0 253/1 रकबा 0.1540 हे0

क्रमश....

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :— 06/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

778/2 रकबा 0.0600 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2527 हे0 व आराजी संख्या 286 रकबा 0.70 हे0, 902 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/5/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा